>

Title: Need to enhance the compensation amount to the people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes whose houses were burnt by anti social elements in South 24 Parganas district in West Bengal.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, दिनांक 19 फरवरी 2013 को ग्राम नोवाखली थाना कैनिंग जिला दक्षिण 24 परगना पूर्व पश्चिम बंगाल के दलितों व आदिवासियों के लगभग 240 घर आग लगाकर जलाकर राख कर दिये गये। उनका सामान नष्ट कर दिया गया। वर्तमान में ये सभी परिवार खुले आसमान के नीचे अपना जीवन-यापन कर रहे हैं। वहां क्षेत्र में धारा 144 लगी हुई है। घटना घटित होने के बाद 240 में से 113 पीड़ित परिवारों को दस-दस हजार रूपये की आर्थिक सहायता के चैक दिये गये हैं, लेकिन अधिकांश लोगों का बैंक में अकाउंट नहीं होने के कारण अभी तक चैक की राशि उनको प्राप्त नहीं हुई है। जिन लोगों ने घटना घटित की वो लोग अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।

महोदय, यह प्रकरण अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से जुड़ा हुआ है, जिसके तहत अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, जनजातिय मामलात मंत्रालय से मांग करता हूं कि घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच करें, एस.सी., एस.टी. आयोग को वहां भेजें, मानवाधिकार आयोग को वहां भेजें और उन्हें दो-दो लाख रूपये की समुचित आर्थिक सहायता देकर उनको रोजगार उपलब्ध करायें। उनको इन्दिरा आवास योजना और राजीव आवास योजना के तहत मकान बनाकर दिया जाये।